अध्याय XXVII

पांडिचेरी

पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्र में चार क्षेत्र अर्थात पांडिचेरी, कराइकल, माहे और यानम शामिल हैं। इस संघ राज्यक्षेत्र की कुल जनसंख्या 8.08 लाख है और उनमें अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या 1.31 लाख अर्थात संघ राज्यक्षेत्र की कुल जनसंख्या के 16.25 प्रतिशत के बराबर है। कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है।

विशेष संघटक योजना के लिए धनराशि

27.2 विशेष संघटक योजना का कार्यान्वयन अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रकीय विभागों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशियां निर्धारित करके किया जाता है। वर्ष 1997-98 और 1998-99 में विशेष केन्द्रीय के लिए निर्धारित राशियों और उसके व्यय की जानकारी नीचे दी गई है:

(करोड़ रूपए)

वर्ष	राज्य योजना परिव्यय	परिव्यय	व्यय	निर्धारित राशि का प्रतिशत
1997-98	218.00	32.58	28.74	88.21
1998-99	241.00	32.68	32.56	99.63

27.3 कृषि, भू-संरक्षण, पशुपालन, वानिकी और वन्य जीव सहकारिता, आई.आर.डी.पी., पिछड़े वर्गों का कल्याण, समाज कल्याण, पोषाहार, आदि जैसे क्षेत्रकों में व्यय की प्रतिशतता निरन्तर 90 प्रतिशत से अधिक रही है। विशेषज्ञ संघटक योजना आयोजन और अनुसंधान विभाग द्वारा तैयार की जाती है, जो पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है। विशेष संघटक योजना के लिए अलग लेखा-शीर्ष खोला गया है, जिसके अन्तर्गत आठवीं योजना के समय से अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित धनराशियां दिखाई जाती हैं।

विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

27.4 विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत राज्य को आवंटित धनराशियों और उनके उपयोग की जानकारी नीचे दी गई है:

(लाख रूपए)

वर्ष	आवंटन	व्यय
1992-93	13.150	13.150
1993-94	14.810	14.810
1994-95	19.310	19.310
1995-96	17.437	17.437
1996-97	17.461	17.461
	82.168	82.168

27.5 एस.सी.पी. संबंधी विशेष केन्द्रीय सहायता का निरन्तर 100 प्रतिशत उपयोग किया जाता रहा है । इस बारे में संघ राज्य क्षेत्र के प्रयत्न सराहनीय हैं।

शिक्षा

27.6 1991 की जनगणना के अनुसार, पांडिचेरी में सामान्य साक्षरता दर 78.20 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों की साक्षरता-दर 56.16 प्रतिशत है। पुरूषों और महिलाओं की सामान्य साक्षरता-दर क्रमशः 86.97 प्रतिशत और 69.26 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों के पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता-दर क्रमशः 66.50 प्रतिशत और 46.28 प्रतिशत है। अरिवोली इयक्कम के अन्तर्गत वर्ष 1991 में इस संघ राज्यक्षेत्र को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। अनुसूचित जातियों के लोगों, विशेषतः अनुसूचित जातियों की महिलाओं को साक्षरता योजनाओं के अन्तर्गत अवरण किया गया है। नव-साक्षरों के लाभी के लिए साक्षरोत्तर अभियान चलाया जा रहा है।

27.7 वर्ष 1997-98 में शिक्षा के प्राथमिक/मिडल/उच्च और उच्च माध्यमिक स्तरों पर विद्यार्थियों के नामांकन की जानकारी नीचे दी जा रही है:

शिक्षा का स्तर	विद्यार्थियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के विद्यार्थी	प्रतिशतता
प्राथमिक	41,588	11,041	26.55S
मिडल	39,961	9,585	23.99S
उच्च	58,588	12,065	20,59S
उच्च माध्यमिक	67,919	8,364	12.31S

27.8 इस संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा के प्राथमिक और मिडल स्तरों पर 1997-98 में बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देने वाले विद्यार्थियों का अनुपात इस प्रकार है:

स्तर	सामान्य	अनुसूचित जाति
प्राथमिक	2.49	4.49
मिडल	17.62	24.93

27.9 प्राथमिक से उच्चमाध्यमतिक स्तर की सभी शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के 42407 विद्यार्थियों का नामांकन था, जो कुल नामांकन के 19.87 प्रतिशत के बराबर है। बस्तुतः अनुसूचित जातियों की बहुलता वाले सभी क्षेत्रों में या तो इलाके के अन्दर या उन स्थानों पर जहां बच्चे आसानी से पहुंच सकते हैं, प्राथमिक से उच्चमाध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधाओं की व्यवसथा की गई है। हर वर्ष ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद स्कूलों के खुलने से पहले सम्पूर्ण साक्षरता परियोजनाओं के अनतर्गत कार्यक्रम आयोजित करके अथवा विशेष नामांकन अभियान चला कर अनुसूचित के स्कूल न जाने वाले बच्चों और बीच में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के नामांकन के लिए विशेष प्रयत्न किए जाते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले अनुसूचित जातियों के बच्चों की दर काफी कम (प्राथमिक स्तर पर 4.49 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 24.93) है। स्कूलों में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई जारी रखने की दर में वृद्धि करने के उद्देश्य से, प्रशासन

द्वारा अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों के छात्रों के कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित की जाती हैं-

i अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए 5वीं कक्षा तक प्रतिधारण छात्रवृत्तियां (रिटेंशन स्कालरशिप)।

ii कक्षा 6से 8 तक की अनुसूचित जातियों की लड़कियों को छात्रवृत्तियां।

iii 10वीं कक्षा तक स्कूल बैंगों सहित पाठ्यपुस्तकों और लेखन-सामग्री की मुफ्त सप्लाई।

iv 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को दो-दो वर्दियां मुफ्त सप्लाई करना।

v स्कूलों में अनुसूचित जातियों के कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधाएं देना।

vi अनुसूचित जातियों के लड़कों और लड़कियों के लिए अलग छात्रावास सुविधाओं की व्यवस्था।

vii अनुसूचित जातियों के उन विद्यार्थियों को जो सार्वजनिक (पब्लिक) परीक्षाओं में 65 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करें, तदर्थ योग्यता अनुदान (मैरिट ग्रांट) देना।

viii मैट्रिक-पूर्व और मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करना।

ix व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक-बैंक की स्कीम चलाना।

x सार्वजनिक परीक्षाओं के शुल्क की प्रतिपूर्ति।

27.10 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह भूरिया ने जून, 1999 में पांडिचेरी के अपने दौरे के समय अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रहीं सामाजिक, आर्थिकऔर शैक्षणिक योजनाओं की समीक्षा की। तथ्थानचावडी छात्रावास और बहोर छात्रावास के निरीक्षण के समय, जिनका संचालन आदि द्रविडार कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, यह देखा गया कि छात्रावास का रखरखाव उपयुक्त रूप से नहीं किया जा रहा है। छात्रावासों में रहने वालें को बिजली, पंखे, जल और सफाई आदि की कमी के कारण बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है। किरूमम्बक्कम गांव में, जहां की सारी आबादी अनुसूचित जातियों की है, बुनियादी सुविधाओं, जैसे सड़कों विधुतीकरण, पेयजल, स्कूली-सूविधाओं, स्वास्थ्य, आवास ओर अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए इस संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन की सराहना की जानी चाहिए। आई.आर.डी.पी. ओर अन्य गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को पर्याप्त सुविधांए दी गई हैं। मेडिकल, दन्त-चिकित्सा और इंजीनियरी कालेजों में आरक्षित कुल सीटों का पूरा इस्तेमाल किया गया है। आयोग के निष्कर्षों को ध्यान में रखतें हुए पांडिचेरी सरकार ने सूचित किया है कि पांडिचेरी में आदि द्रविडार समाज के विद्यार्थियों के सभी छात्रावासों में पर्याप्त सुधार करने के लिए शीघ्रता से कदम उठाए जाएंगे और अपेक्षित सुधार प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे।

सामाजिक-आर्थिक विकास

27.11 पांडिचेरी आदि द्रविडार विकास निगम आदि द्रविडार लोगों के कल्याण की योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिनका उद्देश्य रोजगार के अवसर सृजित करना और ऋण -व-सब्सिडी और हाशिया राशि योजना तथा प्रशिक्षण स्कीम के जरिए इन लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना है। सहायता का ढांचा (पेटर्न) इस प्रकार है:

क) यूनिट लागत की 50 प्रतिशत अथवा 6000/- रूपए की राशि, जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में जारी की जाएगी।

ख) यूनिट लागत की शेष राशि बैंक द्वारा ऋण के रूप में, समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर पर दी जाएगी।

ग) यूनिट लागत की 25 प्रतिशत अथवा 10,000/- रूपए की राशि जो भी कम हो, संबंधित बैंक में मार्जिन मनी के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा ऋण की वापसी-अदायगी पूरी होने तक, जो भी पहले हो तब तक, जमा कराई जाएगी और उस अवधि में उस पर अर्जित ब्याज लाभभोगी और पांडिचेरी आदि द्रविडार विकास निगम द्वारा आपस में बराबर-बराबर बांटा जाएगा

पिछले तीन वर्षों में हुई उपलब्धियां इस प्रकार है:

(रू0 लाखों में)

क्रम संख्या	वर्ष	लाभभोगियों की संख्या	दी गई सब्सिडी	मार्जिन मनी	बैंक ऋण	जोड़
1.	1996-97	584	30.80	12.48	20.80	51.60
2.	1997-98	493	17.72	9.36	19.73	37.45
3.	1998-99	506	17.90	9.47	20.23	38.13
	जोड़	1583	66.42	31.31	60.76	127.18

27.12 पांडिचेरी आदि द्रविडार विकास निगम पांडिचेरी (पैडको) संघ राज्यक्षेत्र में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सरणीकरण (चेनलाइज़िंग) अभिकरण है। आदि द्रविडार समुदाय के लोग पैडको की मार्फत 5.00 लाख रूप तक की ऋण सुविधाएं 7 प्रतिशत की नाममात्र की ब्याज दर पर प्राप्त करते है। 30.00 लाख रूपए प्रति लाभभोगी तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए मीयादी ऋण सहायता पर विचार किया जाता है, लेकिन शर्त यह होती है कि लाभभोगी/सहकारी समिति या अन्य संगठन के सदस्य की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी की रेखा की सीमा (ग्रामीण क्षेत्रों में 31,952 रूपए और शहरी क्षेत्रों में 42.412 रूपए) के दुगने से अधिक न हो।

पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियां इस प्रकार है:

(रू0 लाखों में)

क्रम संख्या	वर्ष	लाभभोगियों की संख्या	ऋण की राशि
1.	1996-97	23	49.62
2.	1997-98	26	27.86
3.	1998-99	27	85.43
जोड़		76	162.91

27.13 निगम द्वारा जो महत्व मीयादी ऋणी योजनाएं, क्रियान्वित की जाती है, वे टेक्सियों, पर्यटन वैनों, टाइपराइटिंग संस्थानों, इस्पात के फर्नीचर, विनिर्माण, आटो-रिक्शाओं, विधुत टिलरों, छोटा लारियों आदि से संबंधित है।

मैला ढोने वाले व्यक्तियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और उनके पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम

27.14 वर्ष 1992 में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिससे यह प्रकट हुआ कि संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी में मैला उठाने वालों के 118 परिवार रहते हैं, जिनके सदस्यों की संख्या 476 हैं। भारत सरकार ने इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 7.50 लाख रूपए की राशि आवंटित की थी। इस स्कीम के अनतर्गत मैला उठाने वाले जितने व्यक्तियों को सहायता दी गई, उसकी जानकारी इस प्रकार है:

(रू0 लाखों में)

क्रम संख्या	सहायता का स्वरूप	जितने व्यक्तियों को सहायता दी गई	व्यय
1.	प्रशिक्षण स्कीम	18	1.16
2.	ऋण व सब्सिडी	87	1.78
3.	सरकारी/स्थानीय निकायों में नियोजन	40	-
4.	वृद्धावस्था पेंशन	2	-
	जोड़	147	2.94

27.15 यह स्कीम सफल रही ओर 1.9.93 को भारत सरकार ने पांडिचेरी को "मैला उठाने वालों से मुक्त राज्य" घोषित किया। चूंकि मैला उठाने वाले सभी पात्र व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सहायता देकर मुक्त करा लिया गया है और उनका पुनर्वास कर दिया गया है, इसलिए बाद के वर्षों में मैला उठाने वालें को और सहायता नहीं दी जा सकती थी। इस कारण, भारत सरकार द्वारा जारी की गई 7.50 लाख रूपए की राशि में से 1996-97 तक केवल 2.94 लाख रूपए का ही इस्तेमाल किया जा सका।

अनुसूचित जातियों के लिए सेवा संबंधी सुरक्षण

27.16 सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित केन्द्र सरकार के अनुदेशों का पालन किया जाता है। संबंधित विभागों/ नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों को आरक्षण नीति का उचित कार्यान्वयन करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। मुख्य सचिवालय में

एक प्रवर्तन प्रकोष्ठ है जो अनवेषण और उसके कार्यान्वयन के लिए अवर सचिव के नियंत्रणाधीन है। विभिन्न सरकारी विभागों में 1-1-98 की स्थिति के अनुसार अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है।

1-1-1998 की स्थिति के अनुसार राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

क्रम सं0	समूह	कर्मचारियों की कुल सं0	कुल में से अनु0 जाति की सं0	अनु0जाति का प्रतिशतता	कुल में से अनु0 जनजाति की संख्या	अनु0 जनजाति का प्रतिशत	आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत अनु जाति	अनु0 ज0जा0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	समूह'क '	1153	163	14.14	11	.95		
2.	समूह' ख '	670	85	12.69	9	1.3	सीधी भर्ती के लिए	
3.	समूह' ग '	15302	2049	12.97	79	0.5	16	शून्य
4.	समूह' घ ' सफाई वालों को छोड़कर	7896	1370	17.35	63	0.36	प्रोन्नति के लिए	
5.	समूह' घ ' (सफाई वाले	613	115	18.60	5	0.39	15	7

27.17 अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व केवल समूह घ पदों में उसकी जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार है। सभी अन्य समूहों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में कमी है। 1-6-85 से आगे संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में समूह ग और घ पदों के लिए सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि पांडिचेरी में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति नहीं है।

बधुआ मजदूरी

27.18 बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधि. [illegible] र्यान्वयन के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार एक जिला सतर्कता समिति का गठन किया गया है जिसका क्षेत्राधिकार पाडिचेरी संघ राजय क्षेत्र के पूरे क्षेत्र पर है। उप मंडलीय स्तर पर भी पांडिचेरी, करायकल, महे तथा यनम में भी एक समिति का गठन किया गया है। 22-2-99 के सरकारी आदेश के माध्यम से सतर्कता समितियां

समय-समय पर मिलती हैं तथा बंधुआ मजदूरी स्थिति की समीक्षा करती हैं। जिला सतर्कता समिति के अनुसार पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी का कोई मामला नही है।

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार/अस्पृश्यता

27.19 पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में 1997 के दौरान पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 21 मामलों की रिपोर्ट की गई। सार्वजनिक स्थानों जैसे होटलों, रेस्तरां और मन्दिरों में भेदभाव के कारण, अस्पृश्यता की इक्का-दुक्का घटनाएं हुई। इन 21 मामलों में से 8 में आरोप-पत्र दायर किए गए हैं, 5 विचरण के लिए लम्बित पड़े हैं, 8 में कार्रवाई रोक दी गई है, 2 में तथ्यों की गलती पाई गई है, 3 की जांच की जा रही हैं, 1 में कार्यवाही बन्द पड़ी है ओर 2 में अभियुक्त बरी हो गए हैं। लेकिन 1997 में अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत किसी मामले की रिपोर्ट नहीं दी गई।

समय-समय पर मिलती हैं तथा बंधुआ मजदूरी स्थिति की समीक्षा करती हैं। जिला सतर्कता समिति के अनुसार पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी का कोई मामला नही है।

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार/अस्पृश्यता

27.19 पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में 1997 के दौरान पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 21 मामलों की रिपोर्ट की गई। सार्वजनिक स्थानों जैसे होटलों, रेस्तरां और मन्दिरों में भेदभाव के कारण, अस्पृश्यता की इक्का-दुक्का घटनाएं हुई। इन 21 मामलों में से 8 में आरोप-पत्र दायर किए गए हैं, 5 विचरण के लिए लम्बित पड़े हैं, 8 में कार्रवाई रोक दी गई है, 2 में तथ्यों की गलती पाई गई है, 3 की जांच की जा रही हैं, 1 में कार्यवाही बन्द पड़ी है ओर 2 में अभियुक्त बरी हो गए हैं। लेकिन 1997 में अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत किसी मामले की रिपोर्ट नहीं दी गई।